२५ 6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण श्री भरत जे. राठौड़ उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण श्री रताराम राठौड़ उपस्थित। उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया एवं उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि वादग्रस्त भूमि भीखवाड़ा के हाल खसरा नं. 386 रकबा 1.32 हेक्टेयर. वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 7 के सहखातेदारी की भूमि है। जिस संबंध में वादीगण ने इन्द्राज दुरस्ती का वाद पेश किया है। जिस वाद में साक्ष्य व्यादि के द्वारा ही वादीगण का अनुतोष तय होगा. वर्तमान में दोनों

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
	पक्ष बाहिस्सा बराबर के सहखातेदार दर्ज होने से प्रथम द्रष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी गण के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली